वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 27.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 27.03.2025

4.32 % बढ़ा वाराणसी विकास क्षेत्र का वाह्य विकास शुल्क

वाराणसी। वीडीए की ओर से वाराणसी विकास क्षेत्र के वाह्य विकास शुल्क में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी विभिन्न नियमावलियों और शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया गया है। इसे हर वर्ष 1 अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है।

इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए वाह्य विकास शुल्क की दरें संशोधित की गई हैं। वाराणसी विकास क्षेत्र के वाह्य विकास शुल्क में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क 1390 रुपये था। साल 2025-26 के लिए इसे 60 रुपये बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में 985 था।

2025-26 के लिए वाराणसी में 60 रुपये, पं. दीनदयाल नगर में 40 रुपये बढ़ा शुल्क

साल 2025-26 के लिए इसे 40 रुपये बढ़ाकर 1025 रुपये किया गया है। यह नई दरें 1 अप्रैल के बाद स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन ने यह स्पष्ट किया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शासन की इस संशोधित व्यवस्था के तहत वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय क्षेत्र में वाह्य विकास शुल्क की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 27.03.2025

पीडीडीयू और रामनगर में नक्शा पास कराना महंगा

- वीडीए के शुल्क संशोधित करने से हुई बढ़ोतरी
- नई दर पहली अप्रैल से लागू, मलबा शुल्क भी बढ़ा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन के बाह्य विकास शुल्क संशोधित करने से अगले माह से रामनगर और मुगलसराय जोन (पीडीडीयू नगर) में मकानों का नक्शा पास कराने के लिए ज्यादा राशि देनी होगी।

नए मकानों का नक्शा पास कराने के अलावा कंपाउंडिंग के लिए भी इन जोनों में नई दरें लागू होंगी। नई दर के हिसाब से रामनगर जोन में अब 4.32 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। वहीं अंबार शुल्क या मलबा शुल्क के लिए भी ज्यादा राशि देनी होगी। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क 1390 रुपये प्रति वर्गमीटर है, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 1450 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में ₹985 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1025 रुपये हो जाएगा। नई दरें एक अप्रैल 2025 के बाद स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि भवन निर्माण शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दोनों जोन में 50 रुपये कर दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 27.03.2025

वीडीए के बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन

वाराणसी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों एवं शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया गया है, जिसे हर वर्ष एक अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए बाह्य विकास शुल्क की दरों को संशोधित किया गया है। वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क में 4.32% की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क रु. 1390 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर रु. 1450 कर दिया गया है। वहीं पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में रु. 985 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर रु. 1025 किया गया है। यह नई दरें 01 अप्रैल 2025 के पश्चात स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। शासन की इस संशोधित व्यवस्था के तहत वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।

> **बाह्य विकास शुल्क की नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी**

न्यायाधीश–दि0 27.03.2025

वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन

वाराणसी।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विभिनन्‍ नियमावलियों एवं शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिनन्‍ शुल्कों का प्रावधान किया गया है, जिसे हर वर्ष 1 अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए बाह्य विकास शुल्क की दरों को संशोधित किया गया है।वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क में 4.32इ की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क ?1390 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर ?1450 कर दिया गया है। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में ?985 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर ?1025 किया गया है।यह नई दरें 01 अप्रैल 2025 के पश्चात स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।शासन की इस संशोधित व्यवस्था के तहत वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 27.03.2025

वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की दरों में संशोधन

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विभिन्न नियमावलियों एवं शासनादेशों के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगने वाले विभिन्न शुल्कों का प्रावधान किया गया है, जिसे हर वर्ष 1 अप्रैल को पुनरीक्षित किया जाता है। इसी क्रम में वाराणसी विकास क्षेत्र (वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय) के लिए बाह्य विकास शुल्क की दरों को संशोधित किया गया है।वाराणसी विकास क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क में 4.32त्न की वृद्धि की गई है। वर्ष 2024-25 में यह शुल्क 1390 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में यह शुल्क वर्ष 2024-25 में 985 था, जिसे वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 1025 किया गया है।यह नई दरें 01 अप्रैल 2025 के पश्चात स्वीकृत होने वाले सभी मानचित्रों पर लागू होंगी। हालांकि, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विकास अनुज्ञा शुल्क, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क और निरीक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।शासन की इस संशोधित व्यवस्था के तहत वाराणसी एवं रामनगर-मुगलसराय क्षेत्र में बाह्य विकास शुल्क की नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।